भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3681

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

बहु-क्षेत्रीय विकास योजना

3681. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को केरल राज्य में समुद्र और नदियों के अत्यधिक कटाव के कारण विस्थापन का सामना कर रहे कमजोर और सीमांत पारंपरिक समुदायों की सहायता के लिए विशेष बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सीमांत समूहों के लिए विशिष्ट अस्थायी आवास बनाने और इनकी आजीविका तथा स्थायी रूप से पुनर्वास के लिए केंद्रीय निधि प्रदान की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अत्यधिक जलवायु जोखिमों के कारण विस्थापित के रूप में आधिकारिक तौर पर वर्गीकृत पारंपरिक मछली पकड़ने वाले और तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले समुदायों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा इन विस्थापित समूहों को सहकारी व्यापार इकाइयां पुन: शुरू करने में सहायता करने के लिए कम ब्याज दर पर संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो समुदाय के पुनर्वास के दौरान शिक्षा और मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं तक अभिगम सुनिश्चित करने के लिए क्या अंतर-विभागीय कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख): उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग): मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।
